

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 93/2025

IN THE MATTER OF:

Jagan Prasad Tehriya

....APPLICANT

VERSUS

State Of U.P. & Others

.....RESPONDENT

INDEX

S.No.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 1 IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 27.03.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL	
	ANNEXURES	
2.	COPY OF THE LETTER OF AUTHORIZATION ANNEXED HERewith AS ANNEXURE A-1	
4.	COPIES OF THE PHOTOGRAPHS ANNEXED HERewith AS ANNEXURE A-2	
5.	COPY OF THE NAZRI NAKSHA AND KHASRA KHATAUNI ANNEXED HERewith AS ANNEXURE A-3	
6.	COPY OF THE FIR NO. 0039 DT. 02.12.2024 ANNEXED HERewith AS ANNEXURE A-4	

7.	COPY OF THE FARD REPORT ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-5	
8.	COPY OF THE H2 CASE NO. 17/KIRAWALI/2024-25 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-6	
9.	COPY OF THE GAZETTE NOTIFICATION DT. 07.01.2020 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-7	
10.	COPIES OF THE NOTICES ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-8.	
11.	COPY OF THE CHARGE SHEET ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-9	
12.	COPY OF E-NOTICE DT. 27.05.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-10	
13.	COPY OF THE BANK DRAFT DT. 27.05.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-11	
14.	COPY OF ORDER DT. 13.05.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-12	

THROUGH COUNSEL



BHANWAR PAL SINGH JADON

STANDING COUNSEL FOR STATE OF U.P.

EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com

Ph: 9639286572

DATE: 28.07.2025

PLACE: NOIDA

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 93/2025

IN THE MATTER OF:

Jagan Prasad Tehriya

....APPLICANT

VERSUS

State Of U.P. & Others

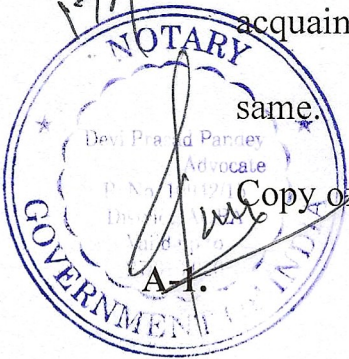
.....RESPONDENT

RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 1 IN COMPLIANCE OF
THE ORDER DATED 27.03.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL
GREEN TRIBUNAL

I, Anil Kumar Patel, aged about 44 years, presently posted as Conservator of Forests, Forest Department, Agra do hereby solemnly affirm and state as follows:

1. That I am the Deponent and am duly authorized to file this affidavit on behalf of respondent no. 1 i.e. Principal Secretary, Government of U.P. I am well-acquainted with the facts of the present matter and competent to dispose to the same.

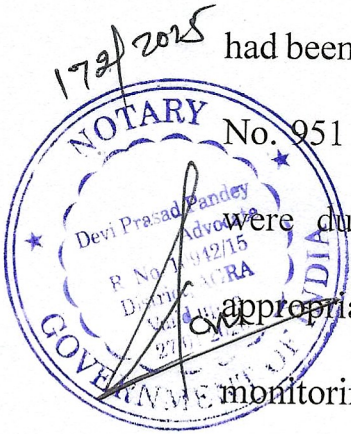
Copy of the letter of authorization has been annexed herewith as ANNEXURE



2. That the present reply is being submitted in compliance with the order dated 27.03.2025 passed by this Hon'ble tribunal.

I. BACKGROUND OF THE MATTER:

3. That in the present matter, the applicant contends that the primary basis of his grievance is the illegal and unauthorized cutting of trees of 19 trees. That trees including Peepal and Neem were cut down to build a colony under the name of Gangadhar Kushwaha next to the left track petrol pump on the Achnera to Kirawali road.
4. That on 02.12.2024, an information was received by the Forest Department regarding illegal tree felling in a newly developing residential colony situated on the left-side of the Achnera- Kiraoli road. That the said site is on Khasra No. 951 (Mi) and is geographically located within the Taj Trapezium Zone. Accordingly, the concerned forest officer reached the site and took cognizance of the incident. At the site, it was found that 01 Peepal tree, 07 Neem trees, 08 Papdi (Chilbil) trees, 03 Ber trees, (Total 19) and approximately 20 to 25 shrubs of Prosopis, Papdi, and Kokat species (measuring between 0 to 1 diameter class) had been felled. That twenty-four (24) other trees were found standing on Khasra No. 951 (Mi), Village Achhnera Dehat, Tehsil Kirawali, District Agra, which were duly numbered by the officials of the Forest Department, Further, appropriate directions have been issued to the concerned forest officers to ensure monitoring and protection of the said trees so as to prevent any further unauthorized or illegal felling.



Copies of the photographs have been annexed herewith as **ANNEXURE A-2**.

A Copy of the Nazri Naksha and Khasra Khatauni have been annexed herewith as **ANNEXURE A-3**.

II. INITIATION OF PROCEEDINGS PURSUANT TO COMPLAINT

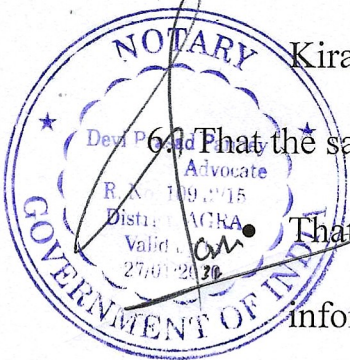
i. Registration of FIR:

5. That a First Information Report (FIR) number 0339, dated 02.12.2024 was registered by the Range Forest Officer at the Achhnera Police Station against the following 06 accused on 02.12.2024 under Sections 4/10 of the U.P. Tree Protection Act, 1976:

- Rakesh alias Dhadhu, Son of Shri Lohre, Resident of Nagla Laldas,
- Kaka, Son of Shri Lohre, Resident of Nagla Laldas, Achhnera
- Lal Singh, Son of Shri Tikam Singh, Resident of Achhnera
- Gangadhar Singh Kushwaha, Son of Shri Shivcharan, Resident of Dauretha, Kagarol;
- Bahadur Singh, Son of Shri Tularam, Resident of Mangrol Jat, Achhnera;
- Bhupendra alias Bhup, Son of Shri Bane Singh, Resident of Guda, Kiraoli.

That the said FIR states as under:

That on 02.12.2024, at around 2:30 PM, based the on received information, the Range Forest Officer, Kiraoli, along with his colleague Shivnarayan (Forest Guard), reached the left side of the Achhnera-Kiraoli



road near the petrol pump, in the colony named Gangadhar Kushwaha, where tree cutting was reported. Upon reaching the site, it was seen that:

- i. 01 Peepal tree with a girth of 225 cm was found felled;
- ii. 07 Neem trees with girths of 67, 98, 108, 100, 99, and 280 cm were found felled;
- iii. 08 Papdi trees were found cut, with stumps measuring 93, 75, 54, 125, 85, 88, 118, and 67 cm in girth;
- iv. 03 Ber (Indian jujube) trees were found cut, with stumps measuring 145, 130, and 116 cm in girth;
- v. Additionally, approximately 20-25 bushes of Prosopis, Papdi, and Kokat species of 0-1 diameter class had been cleared from the site.

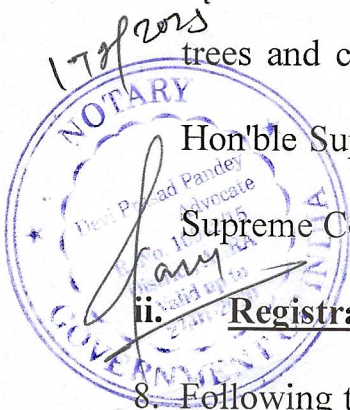
A Copy of the FIR No. 0039 dt. 02.12.2024 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-4.**

Copy of the Fard Report has been annexed herewith as **ANNEXURE A-5.**

7. That the said area falls within the Taj Trapezium Zone (TTZ), and cutting of trees and clearing of bushes without first of obtaining the permission of the Hon'ble Supreme Court is a violation and amounts to contempt of the Hon'ble Supreme Court.

ii. Registration of an H2 Case:

8. Following the due procedure, the concerned forest officer initiated legal action and registered H2 Case No. 17/ Kirawali/2024-25 dated 02.12.2024, under



Sections 4 and 10 of the U.P. Tree Preservation Act, 1976. That it was found that out of the 19 trees felled, total 8 (7 Neem and 1 Peepal) trees are of prohibited species as per the Government Gazette Notification dt. 07.01.2020.

A Copy of the H2 case no. 17/Kirawali/2024-25 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-6**.

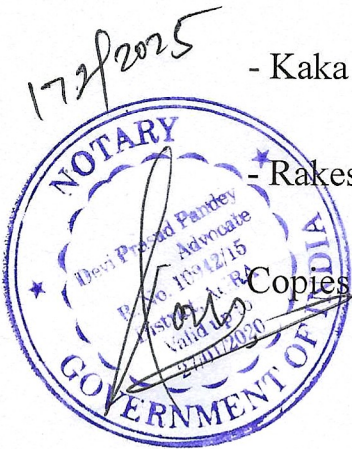
A Copy of the Gazette Notification dt. 07.01.2020 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-7**.

iii. Notices Issued Against Offenders

9. That subsequently, notices were issued to the following accused on 10.12.2024 to appear before the Range Office:

- Bhupendra Singh
- Bahadur Singh
- Gangadhar Singh Kushwaha
- Lal Singh
- Kaka

- Rakesh alias Dhablu



Copies of the Notices have been annexed herewith as **ANNEXURE A-8**.

[Handwritten signature]

iv. **Final Report (Charge Sheet):**

10. That following the aforementioned FIR, a charge sheet (Case No. 288/24 dated 22.12.2024) was prepared by concerned Sub-Inspector. That the said Charge Sheet states as under:-

- That the investigation was conducted by the Sub-inspector in the present matter. That the statements from the complainant, witnesses were recorded.
- Based on witness statements, independent eyewitness accounts, on-site inspection, and other documentary evidence, it was concluded that:

i. Rakesh alias Dhandhu s/o Lohre,

ii. Kaka s/o Lohre,

iii. Lal Singh s/o Tikam Singh,

iv. Bahadur Singh s/o Tularam,

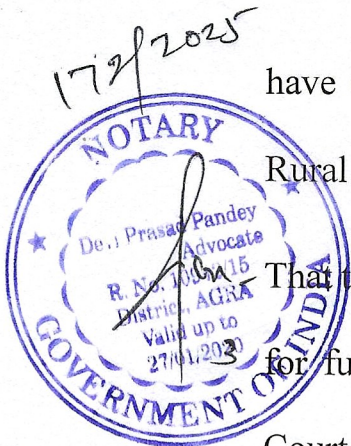
v. Bhupendra alias Bhupay s/o Bane Singh,

have committed a cognizable offense under Sections 4 and 10 of the UP.

Rural Trees Protection Act, 1976, which stands duly substantiated.

That the said Charge Sheet has been submitted before the Judicial Magistrate for further proceedings. The Compounding fees as per Hon'ble Supreme

Court order dated 13.05.2025 in Writ Petition (c) No-13381/1984 M.C.



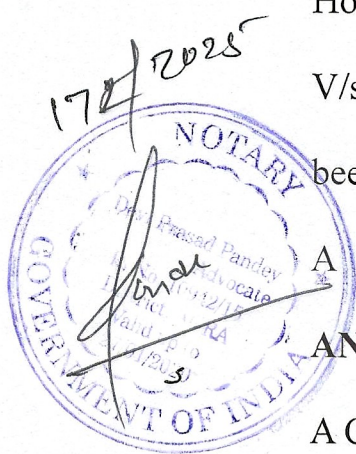
Mehta V/s Union of India and oth. has been submitted to the Forest Department and it will further informed to Hon'ble District Court, Agra also.

A Copy of the Charge Sheet has been annexed herewith as. **ANNEXURE A-9.**

11. That the entire wood of the Peepal tree and partial wood of other species were recovered from the site and a seizure report (Fard) was prepared. Upon local inquiry, it was found that the trees were cut by the aforementioned accused. That the Forest Department issued an **E-3 (No. E3/098290 dated 27.05.2025)** to the accused as per the rules and imposing a compensatory amount of Rs 2,00,000/- upon the responsible individuals and has been received on 27.05.2025, and an amount of Rs. 1,25,000.00 (Rupees one lakh twenty- five thousand) has been received through **Bank Draft No. 337046 dated 27.05.2025**, for ten times the plantation in accordance with the orders dated 13.05.2025 passed by the Hon'ble Supreme Court in writ petition (c) No-13381/1984 M.C. Mehta V/s Union of India and oth. A Copy of E-3 receipt dated 27.05.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-10.**

A Copy of the Bank Draft Dt. 27.05.2025 annexed herewith as **ANNEXURE A-11.**

A Copy of order dated 13.05.2025 passed by the Hon'ble Supreme Court, New Delhi. **ANNEXURE A-12.**



[Handwritten signature]

Further directions were issued to ensure protection of remaining green cover in the affected area, and follow-up reports were requested from field officials.

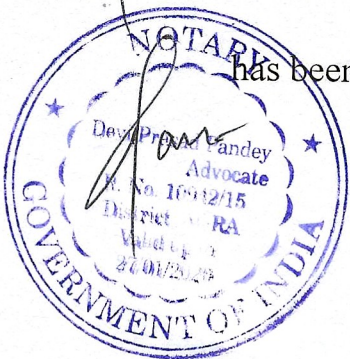
12. That the deponent is duty bound to fulfil the obligation which are assigned under the law and directions passed by this Hon'ble Tribunal. The Deponent is fully committed to ensure strict adherence to the orders of this Hon'ble Tribunal and undertakes to faithfully comply with any further directions or instructions that may be issued by this Hon'ble Tribunal, without demur or delay. To upkeep the majesty of the Hon'ble Courts of law is always the duty concern for deponent herein

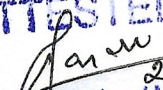
13. Hence, the present response is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.


DEPONENT
 आगरा वृत्त आगरा

VERIFICATION

Verified at AGRA on this 22 day of July, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 13 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.



ATTESTED

 22-7-2025
 Devi Prasad Pandey (Advocate)
 DISTT. NOTARY
 R. No. 10942/2015
 Gazetted Officer, Agra


DEPONENT
 वन संरक्षक,
 आगरा वृत्त आगरा

240

Annexure A-1

कोर्टकेस/समयबद्धसंख्या-ए0जी0टी0-53/81-2-2025

प्रेषक,

शैलेन्द्र कुमार,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,

उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 26-05-2025

विषय:- मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-93/2025 जगन प्रसाद तेहरिया बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-को०के० 3431/6ई-2(एन0जी0टी0), दिनांक 22.05.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रश्नगत वाद में नामित प्रतिवादी सं०-1 प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से response/reply दाखिल किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रश्नगत वाद में नामित प्रतिवादी सं०-1 प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से मा0 एन0जी0टी0 में response/reply दाखिल किये जाने हेतु वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा को नामित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- अतः अनुरोध है कि कृपया प्रश्नगत वाद में शासकीय हितों को ध्यान में रखते हुये उपरोक्तानुसार response/reply समयान्तर्गत दाखिल कराते हुए प्रभावी पैरवी भी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

प्रकरण महत्वपूर्ण है, अतः आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

भवदीय,

(शैलेन्द्र कुमार)

उप सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य वन संरक्षक, कोर्ट केस, उ०प्र०, लखनऊ।

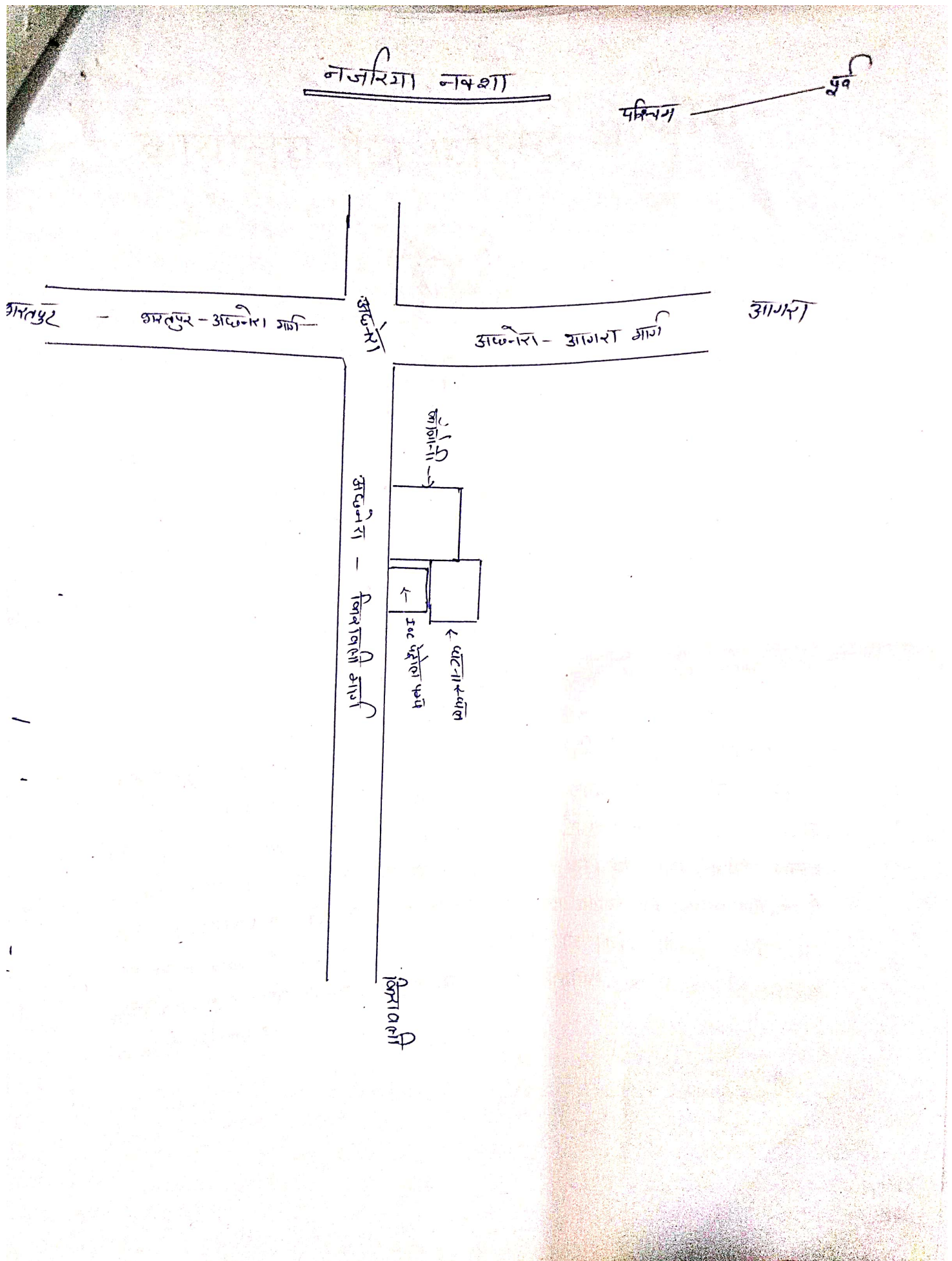
2- वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।

241

आज्ञा से,
(शैलेन्द्र कुमार)
उप सचिव



क्र०सं०	प्रजाति	टूट गोलाई (से०मी० में)	प्रकृति
1.	पीपल	225	वृक्ष
2.	नीम	67	वृक्ष
3.	नीम	98	वृक्ष
4.	नीम	108	वृक्ष
5.	नीम	100	वृक्ष
6.	नीम	99	वृक्ष
7.	नीम	93	वृक्ष
8.	नीम	280	वृक्ष
9.	पापड़ी	93	वृक्ष
10.	पापड़ी	75	वृक्ष
11.	पापड़ी	54	वृक्ष
12.	पापड़ी	125	वृक्ष
13.	पापड़ी	85	वृक्ष
14.	पापड़ी	88	वृक्ष
15.	पापड़ी	118	वृक्ष
16.	पापड़ी	67	वृक्ष
17.	बेर	145	वृक्ष
18.	बेर	130	वृक्ष
19.	बेर	116	वृक्ष
20.	20 से 25 प्रोसोपिस, पापड़ी व कोकाट	0 से 1 व्यास वर्ग	झाडियाँ



Hindi

उद्धारण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

03/Dec/2024 15:00:01

शुद्ध संस्कृत : 218433

प्रत्यक्ष नाम (प्राप्त) : अन्वेष (प्राप्त) (किरायती)

तारमल : किसान

बनारस : ३०७१

फ़ोन नंबर : 1427-1432 (01 फ़रवरी, 2019 से 30 मार्च, 2025)

सप्त : १

(1) જાના ક્રમાંક : 00639

उदा. : एक / पृष्ठ दो सम्प्रसारक पृष्ठों को केन्द्रित कर दो।

[illegible]

क्या उन उधर की प्रसिद्धि (भुइँद गाटा) के बाद गन्त विषय भुनकना नामांतरण नहीं) हेतु इसका संख्या पर नितिक को

Above content is for information. The Information provided will be used by the Government of India for the purpose of providing services to the citizens.

Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

(1) पान क्रमांक : 00639

03/Dec/2024 15:00:01

उद्भरण खतीनी (अप्रमाणित प्रति)

[illegible]

कुम्भया उत्तर छहरे की प्रसिद्धि (पूखड़ (गाड़) के बाद ग्रस्त विक्रय/भुनकरा/नामांताण वही) हेतु छया संख्या एा कित्त कोर ड/Scal/mater: उत्तर अर्कडे मात्र अवसोकरनाय है, उत्तर विवाण अयान है, तसीन कम्प्यूटर केन्द्र एम सी.एस.सी.तेकरवाणी केन्द्र से द्युण कोर प्रणीति प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-distinct portal/CSO.
Tehsil Computer Centre.
Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.



FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा) P.S. (थाना): अछनेरा Year (वर्ष): 2024
FIR No. (प्र.सू.रि. 0339 Date & Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 02/12/2024 21:18 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन): सोमवार Date From (दिनांक से): 02/12/2024 Date To (दिनांक तक): 02/12/2024
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): 00:00 बजे Time To (समय तक): 14:30 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 02/12/2024 Time (समय): 21:18 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 051 Date & Time (दिनांक और समय): 02/12/2024 21:18 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): दक्षिण, 02 किमी Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): गंगाधर कुशवाह कॉलोनी
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
Name of P.S. (थाना का नाम): District (State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): श्री पुनीत पाल बघेल वनरक्षक किरावली रेंज
(b) Father's/Husband's Name (पिता / पति का नाम):
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1984 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
(e) UID No. (यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.): Date of Issue (जारी करने की तिथि):
Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No. (क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	किरावली रेंज आगरा, किरावली, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	किरावली रेंज आगरा, किरावली, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-8433004997

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र. सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	राकेश उर्फ धाधू		पिता का नाम : लोहरे	1. नगला लालदास, अछनेरा, पश्चिमी (कमिश्नेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत
2	काका		पिता का नाम : लोहरे	1. नगला लालदास, अछनेरा, पश्चिमी (कमिश्नेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत
3	लाल सिंह		पिता का नाम : टीकम सिंह	1. अछनेरा, अछनेरा, पश्चिमी (कमिश्नेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत
4	गंगाधर सिंह कुशवाह		पिता का नाम : शिवचरन कुशवाह	1. ग्राम दौरेठा, कागारौल, पश्चिमी (कमिश्नेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत
5	बहादुर सिंह		पिता का नाम : तुलाराम	1. मांगरौल जाट, अछनेरा, पश्चिमी (कमिश्नेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत
6	भूपेन्द्र उर्फ भूपे		पिता का नाम : बने सिंह	1. गुडा, किरावली, पश्चिमी (कमिश्नेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र. सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))
------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------	----------------------------------

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो)

S.No. (क्र. सं.)	UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)
------------------	---------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी वादी सेवा में थानाध्यक्ष महोदय अछनेरा विषय-प्राथमिक सूचना रिपोर्ट हेतु महोदय, आज दिनांक 2/12/2024 को लगभग 2.30 बजे दोपहर को प्राप्त सूचना के आधार पर अछनेरा किरावली मार्ग बाई पटरी पर पेट्रोल पम्प के बगल में गंगाधर कुशवाह नाम की कॉलोनी में पेड काटे जाने की सूचना पर मौके पर अपने हमराह साथी शिवनारायन वनरक्षक को साथ लेकर पहुंचा तो देखा कि 1 वृक्ष पीपल गोलाई 225 cm मौके पर पड़ा है एवं नीम के 7 वृक्ष गोलाई क्रमशः 67,98,108,100,99,280 cm व पापडी के 8 वृक्ष जिसकी ठूठ गोलाई क्रमशः 93,75,54,125,85,88,118,67 cm तथा बेर के 3 वृक्ष जिसकी ठूठ गोलाई 145,130,116 cm के ठूठ मिले तथा मौके पर 0-1 व्यास वर्ग के प्रासोपिस पापडी व कोकाट आदि की लगभग 20-25 झाड़ियों को साफ किया गया है मौके पर पीपल का सम्पूर्ण प्रकाष्ठ व अन्य प्रजातियों के आंशिक प्रकाष्ठ बरामद कर फर्द तैयार की गई आस पास पता करने पर पता चला कि यह वृक्ष राकेश उर्फ धाधू s/o लोहरे निवासी नगला लालदास, काका s/o लोहरे नि. नगला लालदास, लाल सिंह s/o टीकम सिंह न0 अछनेरा, गंगाधर सिंह कुशवाह s/o शिवचरन कुशवाह नि, ग्राम दौरेठा थाना कागारौल, बहादुर सिंह s/o तुलाराम नि0 मांगरौल जाट, भूपेन्द्र उर्फ भूपे s/o बने सिंह नि. गुडा किरावली के द्वारा पेड काटे गये है महोदय यह क्षेत्र T.T.Z क्षेत्र के अन्तर्गत आता है जिसमें मा0 सर्वोच्च न्यायालय की बिना अनुमति के वृक्षों का पातन एवं झाड़ियों की सफाई की गई है जो मा. सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना है। महोदय उ0प्र0 ग्रामीण वृक्ष अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अन्तर्गत अपराध किया गया है अतः अभियोग पंजीकृत करने की कृपा करे दिनांक 2/12/2024 एसडी अंग्रेजी पुनीत प्रार्थी पुनीत पाल बघेल वनरक्षक किरावली रेंज मो.8433004997 नोट- मैं का0 2012 हरकेश सिंह प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर की नकल शब्द व शब्द व कायमी अभियोग बोल बोल कर कम्प्यूटर पर अंकित कराई गयी।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख द्वारा के तहत

(1) Registered the case and took up the investigation:

or

- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): RAGHVENDRA Singh Rank (पद): SI (Sub-Inspector)
No. () to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया

(4) Transferred to P.S.

District

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और R.O.A.C. (आर. ओ. ए. सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): PS ACHHNERA

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 9454402724

फर्द बरामदगी

आज दिनांक २१/१२/२०२४ - - - को समय... शाम ५ बजे - - -
 पटना स्थित अद्वैत फ्लैटली मार्ग की पटरी पर पेट्रोल पम्प के बगल में गंगाधर कृष्ण को कोनी
 पर निम्नलिखित गवाहान की वास्तविकता में भारतीय का अधिनियम की धारा १२
 उ० प्र० ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम की धारा १४ के अधीन निम्नलिखित वन उपज/सम्पत्ति को
 बरामद किया गया जो भारतीय वन अधिनियम की धारा - - - का उ० प्र० वृक्ष संरक्षण
 अधिनियम की धारा ४/१० के अधीन किए गए जख्त किम्वद्विष्ट का विवरण - - -
 निम्नलिखित है।
 - - - (अपराध का संक्षिप्त विवरण) अपराध के अंतर्गत
 अभिगृहीत किए जाने योग्य है।

बरामद की गई सम्पत्ति का ब्योरा

क्र.सं.	वस्तु/प्रमाण/गैर सरकारी सम्पत्ति (अवैध खते तथा अन्य कागजात सहित)	गोला cm	लम्बाई
१	पीपल	२१८ cm	१९५ cm
२	पीपल	१३७ cm	१८७ cm
३	पीपल	१५२ cm	१८६ cm
४	पीपल	८३ cm	१९१ cm
५	पीपल	११८ cm	११६ cm
* इन्धन लकड़ी - ५ क्वीन्टल			

प्रकट (हस्ताक्षर, नाम, वलियत, पूरा पता/
 यदि सरकारी कर्मचारी हो तो हस्ताक्षर
 नाम व पद तारीख सहित)

- मो. ८५३३००५९९७ १. पुनीत वषेल वनरक्षक - Punit
 २. अनिल कुमार राम वनरक्षक - Anil
 ३. शिवनरामन वनरक्षक - Shiv
 ४.

बरामद करने वाले अधिकारी
 के हस्ताक्षर नाम, पद

दामोदर सिंह - दा
 वन दरीगा
 मो. - ९०१२३७७२५

दिनांक २१/१२/२०२४

प्रमाणीय वाद सं०

197

9844

वन विभाग उ०प्र० परिधि (सर्किल) वृज मूमि क्षेत्र, खण्ड (डिवीजन).....

उ०प्र० ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10

अन्य अपराध प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० दिनांक 2/12/2024 अधिसूत्र राजि. किरावली

1- नाम, पिता का नाम और निवास - स्थान

① राकेश उन्नीयाह S/O लोहरे नि. नगला लालदास अछनेरा

② काका S/O लोहरे नि. नगला लालदास अछनेरा

③ लाल सिंह S/O लक्ष्म सिंह नि. स्टेशन रोड अछनेरा

④ गंगाधर सिंह कुशावाह S/O शिवचरन नि. ग्राम लोरेठा कागारौल

⑤ कछापुर सिंह S/O मंगिरौल जाट अछनेरा

⑥ शपेन्द्र उन्नीयाह S/O बने सिंह नि. गुडा किरावली

2- साक्षी का नाम

श्री शिवनारायण कदरोगा

3- कथित - अपराध का पूरा विवरण और दिनांक

दिनांक 2/12/2024 को 8 वृक्ष पापड़ी, 2 वृक्ष नीम, 3 वृक्ष केर, 1 वृक्ष पीपल का अर्पण रूप अछनेरा कदवा में पातन।

4- मूल्य 52600=∞

आयतन - 16.008 मी.3

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टीगेशन) के सम्बन्ध

में विशेष कथन

महोदय,

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण

आदि का उल्लेख

श्री रामोदर सिंह कदरोगा

उक्त केस की जांच कर

आख्या इस माध्यम

में प्रस्तुत करें।

क्षेत्रीय वनाधिकारी

किरावली रेंज

साथ वा० प्रमाण, आगरा

आज दिनांक 2/12/2024 को समय दोपहर 2:30 को लगभग डाढ़ सूझा के आधार पर हमराह श्री शिवनारायण वनरक्षक को साथ लेकर अछनेरा-किरावली मार्ग पर 200 पेड़ोला फर्ष के काल में गंगाधर कुशावाह नाम की कोसोनी में पेड़ काटे जाने की सूचना पर पहुँचे तो देखा कि 1 वृक्ष पीपल का जिसकी गोलाई 225 cm मोने पर कटा मिला एवं नीम के 2 वृक्ष जिसकी हूठ गोलाई क्रमशः 67, 98, 108, 100, 99, 93, 200 cm हैं व पापड़ी के 8 वृक्ष जिसकी हूठ गोलाई क्रमशः 93, 75, 54, 125, 85, 88, 118, 67 cm तथा केर के 3 वृक्ष जिसकी हूठ गोलाई क्रमशः 145, 130, 116 cm के हूठ मोने पर मिले तथा उस स्थल पर 0-1 व्यास वर्ग की प्रोसोपिस, पापड़ी व कोकाट आदि की लगभग 20-25 भाषियाँ को साफ किया गया है। मोने पर मिला पीपल के पेड़ के छुरी प्रभाव व अन्य प्रभावों के वृक्षों के आंशिक प्रभाव को क्रामद कर जर्दी तैयार की गई। आस-पास के लोगों से सूचना देने पर पता लगा कि उपरोक्त व्यक्तियों के द्वारा ही इन पेड़ों को काटा गया है। प्रोसोपिस को सुरक्षित रखा गया है इस कृत्य के लिए घाना अछनेरा में FIR N° 0339 दर्जित कराया गया है। महोदय उक्त क्षेत्र T.T. 2 के अन्तर्गत आता है जिसमें मा. सर्वेक्षक-मामालूम की बिना अनुमति के हरे वृक्षों का पातन करना प्रतिबंधित है। उक्त अभियुक्तों ने उ०प्र० ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अन्तर्गत अपराध किया है। कृपया उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध उक्त धाराओं में केस दर्जित करने की कृपा करें।

अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा में सुमनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भाषी

पिपरी

कुनीत पल्लव वनरक्षक
कीट - 2

क्रम-संख्या-3



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-
डब्ल्यू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार 7 जनवरी, 2020

पौष 17, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-5

संख्या 24/81-5-2020-07-93

लखनऊ, 7 जनवरी, 2020

अधिसूचना

प०आ०-2

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1976) की धारा 21 एवं 23 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या 2270/14-5-2017-07-93, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 का अधिक्रमण करके राज्यपाल निम्नलिखित प्रजातियों के वृक्षों को निपातित किये जाने का प्रतिषेध करती हैं :-

(1) आम (देशी/तुकमी), (2) नीम, (3) साल, (4) महुआ, (5) बीजासाल, (6) पीपल, (7) बरगद, (8) गूलर, (9) पाकड़, (10) अर्जुन, (11) पलाश, (12) बेल, (13) चिरौंजी, (14) खिरनी, (15) कैथा, (16) इमली, (17) जामुन, (18) असना, (19) कुसुम, (20) रीठा, (21) भिलावा, (22) तून, (23) सलई, (24) हल्दू, (25) बाकली/करधई, (26) धौ, (27) खैर, (28) शीशम एवं (29) सागौन और व्यक्तिगत कृषित या अकृषित धृति पर स्थित अन्य प्रजातियों को छूट प्रदान करती हैं।

2-प्रतिषिद्ध प्रजातियों के वृक्ष, दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 तक अपरिहार्य परिस्थितियों यथा- वृक्ष सूख गया हो या सूख रहा हो या व्यक्ति या सम्पत्ति के लिये खतरा पैदा कर रहा हो या सरकार द्वारा अनुमोदित विकास कार्य के निष्पादन के लिए इसका निपातन किया जाना आवश्यक हो या समुपयोज्य व्यास प्राप्त कर लिया हो अथवा यदि उसकी फलदायी क्षमता सारभूत रूप से क्षीण हो गयी हो और ऐसे वृक्ष को निपातित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से लिखित में अनुज्ञा प्राप्त कर ली गई हो, के सिवाय निपातित नहीं किये जायेंगे। समुपयोज्य व्यास के लिए प्रमुख वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्य योजना, उत्तर प्रदेश, जैसा और जब अपेक्षित हो, समय-समय पर मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर सकता है।

3-निपातित किये जाने वाले वृक्षों और (निपातित किये गये वृक्षों के बदले में) रोपित किये जाने वाले प्रतिपूरक पौधों का अक्षांश एवं देशान्तर सक्षम अधिकारी से निपातन अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु आवेदन करते समय आवेदन-पत्र में उल्लिखित किया जायेगा तथा तत्पश्चात् ऑनलाइन अभिलिखित किया जायेगा।

4-वृक्ष स्वामी, निपातित किये गये प्रत्येक वृक्ष के स्थान पर 10 वृक्षों का आरोपण एवं अनुरक्षण करेगा और वृक्ष रोपित न करने की स्थिति में 10 वृक्षों को रोपित किये जाने तथा 05 वर्ष तक उनका अनुरक्षण किये जाने की धनराशि उक्त अधिनियम, सन् 1976 की धारा 5 और 7 के अनुसार वृक्ष स्वामी द्वारा वन विभाग को जमा की जायेगी। वन विभाग इस धनराशि का उपयोग वनीकरण के प्रयोजनार्थ करेगा। इससे ऐसी प्रजातियों का संरक्षण करने तथा वृक्षावरण का विस्तार करने में भी सहायता मिलेगी।

5-उत्तर प्रदेश वन निगम, वृक्ष स्वामी को उसकी कृषि भूमि पर अवस्थित वृक्षों के प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान करेगा।

आज्ञा से,
सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 24/LXXXI-5-2020-07, 93, dated January 7, 2020 :

No. 24/LXXXI-5-2020-07-93

Dated Lucknow, January 7, 2020

IN exercise of the powers under section 21 and 23 of the Uttar Pradesh Protections of Trees Act, 1976 (U.P. Act no. 45 of 1976) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 4 of 1904) and in supersession of the Government notification no. 2270/XIV-5-2017-07-93, dated October 31, 2017, the Governor is pleased to prohibit felling of the following trees species:-

(I) Aam (Desi/Tukmi), (II) Neem, (III) Sal, (IV) Mahua, (V) Bijasal, (VI) Pipal, (VII) Bargad, (VIII) Gular, (IX) Pakar, (X) Arjun, (XI) Palash, (XII) Bel, (XIII) Chiraunjee, (XIV) Khirnee, (XV) Kaitha, (XVI) Imli, (XVII) Jamun, (XVIII) Asna, (XIX) Kusum, (XX) Ritha, (XXI) Bhilawa, (XXII) Toon, (XXIII) Salai, (XXIV) Haldu, (XXV) Bakali/Kardhai, (XXVI) Dhau, (XXVII) Khair, (XXVIII) Sheesham and (XXIX) Sagaun and exempt other species situated on individual cultivated and un-cultivated holding.

2. Prohibited tree species shall not be felled till dated 31st December, 2025 except under unavoidable circumstances such as tree is dead or dying or it constitutes danger to person or property or its felling is necessary for executing a development work approved by the Government or after attaining exploitable diameter or if the fruit bearing capacity of such tree has declined substantially and permission to fell such tree has been obtained in writing from the competent authority. For exploitable diameter, Principal Chief Conservator of Forests, Monitoring and Working Plan, Uttar Pradesh may issue guidelines from time to time, as and when required.

3. Longitude and Latitude of trees to be felled and compensatory saplings to be planted (*in lieu of* felled trees) shall be mentioned in the application from while applying for obtaining felling permission from the Competent Authority and subsequently recorded online.

4. The tree owner shall plant and maintain 10 trees in place of each tree felled and in case of not planting trees the amount of money for plantation of 10 trees and their maintenance for 5 years shall be deposited by the tree owner to the Forest Department, as per section 5 and 7 of the said Act of 1976. Forest Department will utilise this amount for afforestation purposes. This will help conserve such species and expansion of tree cover too.

5. Uttar Pradesh Forest Corporation will facilitate the tree owner for certification of standing trees on his farm land.

By order,
SUDHIR GARG,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 549 राजपत्र-(हिन्दी)-2020-(1335)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1 सा० पर्यावरण-2020-(1336)-1000 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

कार्यालय रेंज फोरेस्ट ऑफीसर



नोटिस

दिनांक 10-12-2024

सेवा में,

नाम श्री रमेश चंद्र उर्फ शर्मा पुत्र श्री बने सिंह
निवासी गुडा निवासी पोस्ट किरावली
थाना किरावली जिला अजमेर

संदर्भ:- रेंज केस सं०- 17/किरावली/2024-25

स्थानीय वन कर्मचारी द्वारा आपके विरुद्ध सूचना दी है कि आपके द्वारा दिनांक 2-12-2024 को समय दोपहर 2:30 तक वन क्षेत्र/ग्राम 100 सेक्टर के वन क्षेत्र में में अनाधिकृत रूप से 8 सप्पड़, 7-मीटर, 3-मीटर, 1-मीटर के अक्षरों में वन अपराध किया गया है।

अतः आपको इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 16-12-2024 को प्रातः 10:00 बजे रेंज कार्यालय/प्रभागीय कार्यालय किरावली पर उपस्थित होकर अपने बचाव में प्रमाण अथवा बयान प्रस्तुत करें। यदि आप निर्धारित सम्भव तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको यह अपराध स्वीकार है और अपने बचाव में आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं और आपके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम/ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्र मृदा संरक्षण अधि/आरामिल एक्ट के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

दाया
✓ वन्य वनाधिकारी
किरावली रेंज

कार्यालय रेंज फोरेस्ट ऑफीसर



नोटिस

सेवा में.

दिनांक 10-12-2024

नाम श्री बहादुर सिंह

पुत्र श्री तुलाराम

निवासी गौगरी ल जाट

पोस्ट अदुनेरा

थाना अदुनेरा

जिला अजमेर

संदर्भ:-

रेंज केस सं०- 17/ क्रि० / 2024-25

स्थानीय वन कर्मचारी द्वारा आपके विरुद्ध सूचना दी है कि आपके द्वारा दिनांक 2-12-2024 को समय दोपहर 2:30 बजे वन क्षेत्र/ग्राम 100 पेट्रोल पम्प के पास जंगल का क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से 8 पापड़, 7-मिश्र, 3 बेर, 1 पीपल के अतिरिक्त अन्य वन अपराध किया गया है।

अतः आपको इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 16-12-2024 को प्रातः 10:00 बजे रेंज कार्यालय/प्रभागीय कार्यालय किरावली पर उपस्थित होकर अपने बचाव में प्रमाण अथवा बयान प्रस्तुत करें। यदि आप निर्धारित सम्भव तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको यह अपराध स्वीकार है और अपने बचाव में आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं और आपके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम/ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्र मृदा संरक्षण अधि/आरामिल एक्ट के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।


क्षेत्रीय वनाधिकारी
किरावली रेंज

कार्यालय रेंज फोरेस्ट ऑफीसर



नोटिस

सेवा में,

दिनांक 10-12-2024

नाम श्री जंगम सिंह कुशवाहा

पुत्र श्री शिव चरण

निवासी ग्राज दौरेडा

पोस्ट दौरेडा

थाना कागाडोल

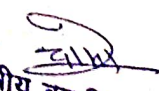
जिला उन्नाव

संदर्भ:-

रेंज केस सं०- 17/ मि. / 2024-25

स्थानीय वन कर्मचारी द्वारा आपके विरुद्ध सूचना दी है कि आपके द्वारा दिनांक 2-12-2024 को समय दोपहर 2:30 बजे वन क्षेत्र/ग्राम 100 पेड़ों के पानांगों को अनाधिकृत रूप से 8 पानांग, 7 नीम, 3 बेर, 1 कीपल के 3 बैर रूप में वन अपराध किया गया है।

अतः आपको इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 16-12-2024 को प्रातः 10:00 बजे रेंज कार्यालय/प्रभागीय कार्यालय किरावली पर उपस्थित होकर अपने बचाव में प्रमाण अथवा बयान प्रस्तुत करें। यदि आप निर्धारित सम्भव तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको यह अपराध स्वीकार है और अपने बचाव में आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं और आपके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम/ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्र मृदा संरक्षण अधि/आरामिल एक्ट के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

✓ 
क्षेत्रीय वनाधिकारी
किरावली रेंज

कार्यालय रेंज फोरेस्ट ऑफिसर



नोटिस

दिनांक 10-12-2024

सेवा में,

नाम श्री मोहम्मद पुत्र श्री दीनारुद्दीन

निवासी स्टेशन रोड अहमद पोस्ट अहमद

थाना अहमद जिला अहमद

सदम- रेंज केस सं०- 17/सि.सं. 1/20.21.0.5

स्थानीय वन कर्मचारी द्वारा आपके विरुद्ध सूचना दी है कि आपके द्वारा दिनांक 2-12-2024 को समय दोपहर 2:30 बजे वन क्षेत्र/ग्राम 100 सेंटेनल पत्राई पत्राई जंगल में अनाधिकृत रूप से 8.500 रु. 7.000 रु. 3.000 रु. 1.000 रु. 3.000 रु. वन अपराध किया गया है।

अतः आपको इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 10-12-2024 को प्रातः 10:00 बजे रेंज कार्यालय/प्रभागीय कार्यालय सि.सं. 1/20.21.0.5 पर उपस्थित होकर अपने बचाव में प्रमाण अथवा बयान प्रस्तुत करें। यदि आप निर्धारित सम्भव तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको यह अपराध स्वीकार है और अपने बचाव में आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं और आपके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम/ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्र गृह संरक्षण अधि/आरामिल एक्ट के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।


क्षेत्रीय वनाधिकारी
किरावली गेल

कार्यालय रेंज फोरेंस्ट ऑफीसर



नोटिस

दिनांक 10-12-2024

सेवा में,

नाम श्री काका

पुत्र श्री लोहर

निवासी नाला लाल दास

पोस्ट शासना

थाना अटनेरा

जिला शासना

संदर्भ:-

रेंज केस सं०- 17/लिग०/2024-25

स्थानीय वन कर्मचारी द्वारा आपके विरुद्ध सूचना दी है कि आपके द्वारा दिनांक 2-12-2024 को समय दोपहर 2:30 बजे वन क्षेत्र/ग्राम 100 पैट्रोल पथ के पास शासना में अनाधिकृत रूप से 8 फासड़ा, 7 नीम, 3 बेर, 1 पीपल के अतिरिक्त सूखे काष्ठ वन अपराध किया गया है।

अतः आपको इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 16-12-2024 को प्रातः 10:00 बजे रेंज कार्यालय/प्रमाणीय कार्यालय किरावली पर उपस्थित होकर अपने बचाव में प्रमाण अथवा बयान प्रस्तुत करें। यदि आप निर्धारित सम्भव तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको यह अपराध स्वीकार है और अपने बचाव में आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं और आपके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम/ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्र मृदा संरक्षण अधि/आरामिल एक्ट के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

काका
क्षेत्रीय वनाधिकारी
किरावली रेंज

कार्यालय रेंज फोरेस्ट ऑफिसर



नोटिस

दिनांक 16-12-2024

सेवा में

नाम श्री राजेश उर्फ होंदा पुत्र श्री लोहर
निवासी बालावा पोस्ट राजवा
थाना अदुन जिला अजमेर

संदर्भ:- रेंज केस सं०- 17/क्रि.सं./2024-25

स्थानीय वन कर्मचारी द्वारा आपके विरुद्ध सूचना दी है कि आपके द्वारा दिनांक 2-12-2024 को समय दोपहर 2:30 बजे वन क्षेत्र/ग्राम 100 पेंडेल पर्वत के पास गंगादा जंगल में अनाधिकृत रूप से 8 पाप्पड़ी, 7 नीम 3 बेर, 1 जिल्ला अद्वैत रूप से जंगल वन अपराध किया गया है।

अतः आपको इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 16-12-2024 को प्रातः 10:00 बजे रेंज कार्यालय/प्रभागीय कार्यालय किरावली पर उपस्थित होकर अपने बचाव में प्रमाण अथवा बयान प्रस्तुत करें। यदि आप निर्धारित सम्भव तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको यह अपराध स्वीकार है और अपने बचाव में आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं और आपके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम/ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्र गृदा संरक्षण अधि/आरामिल एक्ट के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

राजेश
क्षेत्रीय वनाधिकारी
किरावली रेंज

कार्यालय रेंज फोरेस्ट ऑफिसर



नोटिस

दिनांक 16-12-2024

सेवा में

नाम श्री जेगादा सिंह कुंसावट

पुत्र श्री शिव चरण

निवासी ग्राम दौरेडा

पोस्ट दौरेडा

थाना कागासोल

जिला आगरा

संदर्भ:- रेंज केस सं०- 17/ क्रि.०/ 2024-25

स्थानीय वन कर्मचारी द्वारा आपके विरुद्ध सूचना दी है कि आपके द्वारा दिनांक 2-12-2024 को समय दोपहर 2:30 बजे वन क्षेत्र/ग्राम 100 पेट्रोल पम्प के पास जेगादा कुंसावट में अनाधिकृत रूप से 2-12-2024 प्राप्ति, 7 सीम, 3 वेर, 1 बीपल के अवैध रूप से वन अपराध किया गया है।

अतः आपको इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 16-12-2024 को प्रातः 10:00 बजे रेंज कार्यालय/प्रभागीय कार्यालय किरावली पर उपस्थित होकर अपने बचाव में प्रमाण अथवा बयान प्रस्तुत करें। यदि आप निर्धारित सम्भव तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको यह अपराध स्वीकार है और अपने बचाव में आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं और आपके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम/ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्र मृदा संरक्षण अधि/आरामिल एक्ट के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

क्षेत्रीय वनाधिकारी
किरावली रेंज

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

FINAL FORM/ REPORT

अंतिम फार्म/रिपोर्ट

(Under Section 193 B.N.S.S.)

(धारा 193 बी एन एस एस के अन्तर्गत)

IN THE COURT OF : मा० न्यायालय (के न्यायालय में)

1. District/Unit (जिला/इकाई): पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा)

P.S. (थाना): अछनेरा

Year(वर्ष): 2024

FIR No.(प्र.सू.रि.सं.):0339

Date(दिनांक): 02/12/2024

2. Final Report / Charge Sheet No.(अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र संख्या.): 01

3. Date(दिनांक): 22/12/2024

4. S.No. Acts(अधिनियम)

Sections(धाराएँ)

1 उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 4

2 उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 10

5. Type of Final Form/Report आरोप पत्र
(अंतिम फार्म/रिपोर्ट का प्रकार):

6. If FR Unoccurred

(यदि अंतिम रिपोर्ट अघटित):

7. If Charge sheet

(यदि आरोप पत्र दाखिल किया):

मूल

Case No. 12028
अवलोकन किया गया
मसौदा किया गया
एक सचिव है
ACM 128
28/12/2025

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

8. Name of I.O. at the time of charge sheet
(आरोप पत्र दाखिल करते समय जाँच अधिकारी का नाम):

RAGHVENDRA Singh

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No. (सं.):

9. (a) (क) Name of complainant / informant (शिकायतकर्ता/इतिला देने वाले का नाम):
श्री पुनीत पाल बघेल वनरक्षक किरावली रेंज

(b) (ख) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम) :

10. Details of Properties/Articles/Documents recovered/seized during investigation and relied upon:

(जाँच के दौरान बरामद/जब्त सम्पत्ति/वस्तु/दस्तावेज का विवरण जिन्हें आधार बनाया गया हो):

S. No	Property Description	Estimated Value (in Rs.)	Police Station Property Register No.	From whom/ where recovered or seized	Disposal
(क्र. सं.)	(सम्पत्ति का विवरण)	(अनुमानित मूल्य (रु.में))	(थाना सम्पत्ति रजिस्टर सं.)	(कहाँ/किससे जब्त अथवा बरामद की गई)	(निराकरण)

11. Particulars of accused persons charge-sheeted (आरोप पत्र दाखिल अभियुक्तों का विवरण):

S. No.(क्र.सं.): 1

(i) Name राकेश उर्फ धाधू

Whether verified (क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name (पिता का नाम): लोहरे

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 05/10/1984

(iv) Sex (लिंग): पुरुष

(v) Nationality (राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No. (पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC

(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	नगला लालदास , अछनेरा, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	नगला लालदास , अछनेरा, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail

(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court

(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)

(xvii) Previous convictions with case references

(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सजा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): गिरफ्तार नहीं

(xix) Brief details of crime related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण):

(xx Crime evidence related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

S. No.(क्र.सं.): 2

(i) Name काका

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): लोहरे

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 20/03/1992

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC

(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	नगला लालदास, अछनेरा, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	नगला लालदास, अछनेरा, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित है?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail

(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court

(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No.	Address Type	Address(पता)
(क्र.सं.)	(पता का प्रकार)	

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)
----------------	--------------------------------	----------------------------

(xvii) Previous convictions with case references

(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सजा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): गिरफ्तार नहीं

(xix) Brief details of crime related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण) :

(xx) Crime evidence related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

S. No.(क्र.सं.): 3

(i) Name लाल सिंह

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): टीकम सिंह

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 01/01/1953

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC

(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	अछनेरा, अछनेरा, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	अछनेरा, अछनेरा, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail

(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court

(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. Address Type

Address(पता)

(क्र.सं.) (पता का प्रकार)

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.) ID Type (पहचान पत्र का प्रकार) ID Number (पहचान पत्र सं.)

(xvii) Previous convictions with case references

(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सजा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): गिरफ्तार नहीं

(xix) Brief details of crime related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण) :

(xx Crime evidence related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

S. No.(क्र.सं.): 4

(i) Name बहादुर सिंह

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): तुलाराम

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 01/01/1964

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC

(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	मांगरौल जाट , अछनेरा, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	मांगरौल जाट , अछनेरा, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित है?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail

(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court

(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)

(xvii) Previous convictions with case references

(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सजा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): गिरफ्तार नहीं

(xix) Brief details of crime related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण):

(xx Crime evidence related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

S. No.(क्र.सं.): 5

(i) Name भूपेन्द्र उर्फ भूपे

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): बने सिंह

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 05/10/1984

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC

(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	गुडा , किरावली, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	गुडा , किरावली, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित है?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail

(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court

(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
-----------------	------------------------------	---------------

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)
----------------	--------------------------------	----------------------------

(xvii) Previous convictions with case references

(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सजा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): गिरफ्तार नहीं

(xix) Brief details of crime related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण):

(xx Crime evidence related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

12. Particulars of accused persons - not charge sheeted (suspect)

(आरोप पत्र दाखिल न किए गए (संदिग्ध) अभियुक्तों का विवरण):

S. No. (क्र.सं.): 1

(i) Name गंगाधर सिंह कुशवाह
(नाम):Whether verified हाँ
(क्या सत्यापित है?):

(ii) Father's Name (पिता का शिवचरन कुशवाह

(iii) Date/Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1965

(iv) Sex (लिंग): पुरुष

(v) Nationality (राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC (अनु.जाति/अनु.
जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation

(x) Address(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
--------------------	---------------------------------	--------------

1	वर्तमान पता	ग्राम दौरेठा, कागारौल, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	ग्राम दौरेठा, कागारौल, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(xi) Suspicion approved नहीं
(संदेह अनुमोदित):(xii) Status of the accused (suspect) गिरफ्तार नहीं
(अभियुक्त (संदिग्ध) की स्थिति):

(xiii) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

(xiv) Any Special remarks including reasons for not charge sheeting
(आरोपपत्र दाखिल न करने के कारण सहित कोई विशेष
अभ्युक्ति): साक्ष्य के अभाव में13. Particulars of witnesses to be examined(पूछताछ किए
जाने वाले गवाहों का विवरण):

S. No	Name/ Mob No	Father's/ Husband's name	Date/ Year of birth	Occupat ion	Address	Type of evidence to be tendered
(क्र. सं.)	(नाम/ मो० नं०)	(पिता/पति का नाम)	(जन्म तिथि /वर्ष)	(व्यवसाय)	(पता)	(प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य का प्रकार)
1	श्री पुनीत पाल बघेल वनरक्षक किरावली रेंज /		1984		वर्तमान पता: किरावली रेंज आगरा, किरावली, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश,	शिकायतकर्ता

8433004997			भारत स्थायी पता: किरावली रेंज आगरा, किरावली, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत	
का0 2012 2 हरकेश / 7983496725			वर्तमान पता: थाना अछनेरा, अछनेरा, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: थाना अछनेरा, अछनेरा, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत	प्राथमिकी साक्ष्य
3 श्री दामोदर / 9012377125	पिता: गंगाधर सिंह		वर्तमान पता: वन विभाग किरावली रेंज वन दरोगा, ग्राम बरारा थाना मलपुर, आगरा, अछनेरा, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: वन विभाग किरावली रेंज वन दरोगा, ग्राम बरारा थाना मलपुर, आगरा, अछनेरा, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत	चक्षुदर्शी साक्ष्य
4 श्री अनिल कुमार राय / 9368261850	पिता: श्री विजय सिंह		वर्तमान पता: तैनात वन विभाग किरावली रेंज, ग्राम परखम थाना फरह मथुरा, अछनेरा, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: तैनात वन विभाग किरावली रेंज, ग्राम परखम थाना फरह मथुरा, अछनेरा, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत	चक्षुदर्शी साक्ष्य
5 शिवनारायण / 6397671271	पिता: धर्मवीर सिंह		वर्तमान पता: फोरेस्ट गार्ड किरावली, गुहेता सात विसा थाना कोसी कला, अछनेरा, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: फोरेस्ट गार्ड किरावली, गुहेता सात विसा थाना कोसी कला, अछनेरा, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत	चक्षुदर्शी साक्ष्य

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

6	कृष्ण कुमार शाक्य / 8006543011	पिता: श्री भगवानस्वरूप	वर्तमान पता: अछनेरा, म0न0 1780 मौहल्ला बजहेरा, अछनेरा, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: अछनेरा, म0न0 1780 मौहल्ला बजहेरा, अछनेरा, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत	अन्य गवाह
7	पंकज / 9808141508	पिता: मोहन सिंह	वर्तमान पता: अछनेरा, मौहल्ला मोहन गिरारा, अछनेरा, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: अछनेरा, मौहल्ला मोहन गिरारा, अछनेरा, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत	अन्य गवाह
8	दिनेश कुमार / 9058833947	पिता: देव प्रकाश कुशवाह	वर्तमान पता: अछनेरा, स्टेशन रोड मौहल्ला बजहेरा, अछनेरा, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: अछनेरा, स्टेशन रोड मोहल्ला बजहेरा, अछनेरा, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत	अन्य गवाह
9	संजय / 8859801687	पिता: रतन लाल	वर्तमान पता: नेकराम जूनियर हाईस्कूल के पास, मौ0 बजहेरा, अछनेरा, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: नेकराम जूनियर हाईस्कूल के पास, मौ0 बजहेरा, अछनेरा, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत	अन्य गवाह
10	राघवेन्द्र सिंह / 7017565320	:	वर्तमान पता: थाना अछनेरा, अछनेरा, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: थाना अछनेरा, अछनेरा, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत	अनुसंधान साक्षी

14. If FR is false (F.R. false), indicate action taken or proposed to be taken
u/s 182/211 I.P.C / 217/248 B.N.S :

(यदि अन्तिम रिपोर्ट झूठी है तो भा.द.सं. की धारा 182/211 / 217/248 बी एन एस के
अन्तर्गत की गई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण):

15. Result of Laboratory analysis (प्रयोगशाला में किए गए विश्लेषण का परिणाम):**16. Brief facts of the case (मामले से संबंधित संक्षिप्त तथ्य):**

श्रीमान जी उक्त अभियोग श्री पुनीत बघेल वनरक्षक किरावली रेंज आगरा द्वारा दिनांक 02/12/2024 को तहरीरी सूचना के आधार पर अछनेरा किरावली मार्ग पर बाई पटरी पर पेट्रोल पंप के बगल में गंगाधर सिंह कुशवाह की नाम की कालोनी में पेड़ काटे जाने की सूचना पर मौके पर अपने हमराह साथी शिवनारायन वनरक्षक को साथ लेकर पहुंचा तो देखा कि 1 वृक्ष पीपल गोलाई 225 cm मौके पर पड़ा है एवं नीम के 7 वृक्ष गोलाई क्रमशः 67,98,108,100,99,280 cm व पापड़ी के 8 वृक्ष जिसकी ठूठ गोलाई क्रमशः 93,75,54,125,85,88,118,67 cm तथा बेर के 3 वृक्ष जिसकी ठूठ गोलाई 145,130,116 cm के ठूठ मिले तथा मौके पर 0, 1 व्यास वर्ग के प्रासोपिस पापड़ी व कोकाट आदि की लगभग 2025 झाड़ियों को साफ किया गया है मौके पर पीपल का सम्पूर्ण प्रकाष्ठ व अन्य प्रजातियों के आंशिक प्रकाष्ठ बरामद हुये जिसकी फर्द तैयार की गई आस पास पता करने पर पता चला कि यह वृक्ष 1. राकेश उर्फ धांधू s/o लोहरे निवासी नगला लालदास, 2. काका s/o लोहरे नि. नगला लालदास, 3. लाल सिंह s/o टीकम सिंह नि0 अछनेरा, 4. गंगाधर सिंह कुशवाह s/o शिवचरन कुशवाह नि0 ग्राम दौरेठा थाना कागारौल, 5. बहादुर सिंह s/o तुलाराम नि0 मांगरौल जाट, 6. भूपेन्द्र उर्फ भूपे s/o बने सिंह नि0 गुडा थाना किरावली हालपता शीलाकुंज नई आबादी बोदला थाना जगदीशपुरा आगरा के द्वारा पेड़ काटे गये हैं। महोदय यह क्षेत्र T.T.Z क्षेत्र के अन्तर्गत आता है जिसमें मा0 सर्वोच्च न्यायालय की बिना अनुमति के वृक्षों का पातन एवं झाड़ियों की सफाई की गई है जो मा. सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना है। महोदय उ0प्र0 ग्रामीण वृक्ष अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अन्तर्गत अपराध किया गया है। उक्त अभियोग थाना हाजा पर पंजीकृत होकर विवेचना मुद्दा उ0नि0 के सुपुर्द हुई। विवेचना के मध्य बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल करने के उपरान्त वादी से काटी गयी लकड़ी की फर्द वरामदगी आदि प्राप्त की गयी। फर्द के अनुसार काटी गयी लकड़ी वन विभाग के पास जमा कराना पाया गया। अब तक की विवेचना बयान गवाह निरीक्षण घटनास्थल एवं बयान स्वतंत्र गवाहान एवं अन्य अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर तमामी विवेचना से अभियुक्त 1. राकेश उर्फ धांधू पुत्र लोहरे नि0 नगला लालदास थाना अछनेरा आगरा, 2. काका s/o लोहरे नि0 नगला लालदास थाना अछनेरा आगरा, 3. लाल सिंह पुत्र श्री टीकम सिंह नि0 अछनेरा आगरा, 4. बहादुर सिंह पुत्र तुलाराम नि0 मांगरौल जाट थाना अछनेरा आगरा, 4. भूपेन्द्र उर्फ भूपे पुत्र बने सिंह नि0 ग्राम गुडा थाना किरावली हालपता शीलाकुंज नई आबादी बोदला थाना जगदीशपुरा आगरा के विरुद्ध धारा 4/10 उ0प्र0 ग्रामीण वृक्ष अधिनियम 1976 के अंतर्गत अपराध बखूबी प्रमाणित है। आरोपी गंगाधर सिंह कुशवाह पुत्र शिवचरन सिंह कुशवाह नि0 दौरेठा थाना कागारौल आगरा हाल पता म0न0 273/9 आवास विकास कालोनी थाना सिकन्दरा आगरा के विरुद्ध चालान योग्य पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण नाम विवेचना से पृथक किया गया। शेष अभियुक्तगण 01. राकेश उर्फ धांधू पुत्र लोहरे, 02. काका पुत्र लोहरे, 03. लाल सिंह पुत्र श्री टीकम सिंह, 04. भूपेन्द्र उर्फ भूपे पुत्र बने सिंह, 05. बहादुर सिंह पुत्र तुलाराम उपरोक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने के कारण अभियुक्तगण उपरोक्त का चालान आरोप पत्र सं0 288 /24 दिनांक 22/12/2024 को माननीय

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

न्यायालय किया जाता है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध सबूत तलब फरमाकर दण्डित करने की कृपा करें। विवेचना समाप्त की जाती है।

17.Refer Notice served नहीं
(जारी किए नोटिस):

Date(दिनांक):

(Acknowledgement to be placed)(पावती नत्थी करें):

18.Despatched on(प्रेषण की तिथि): 22/12/2024

19.No. of enclosures(संलग्नको की संख्या): 2

20.List of enclosures : As annexed(संलग्नको की सूची):

IIF1.pdf, IIF2.pdf

21. Name and address of the accused, who have not been challaned, whether caught or not: (नाम और पता अभियुक्त, जो चालान नहीं किये गए हैं। चाहे पकड़े गए हो या नहीं पकड़े गए हों):

21क.Suspected accused name, address and age / संदिग्ध अभियुक्त का नाम, पता और आयु :

21ख.The absconding accused name, address and age / फरार अभियुक्त का नाम, पता और आयु :

22. Names and addresses of the accused, who have been challaned (अभियुक्तों के नाम पते जिनका चालान किया गया हो) :

22क.Name, address and age of the accused on bail (जमानत या जाती मुचलके पर अभियुक्त का नाम, पता और आयु) :

22ख.Mafarur accused name, address and age / मफरूर अभियुक्त का नाम, पता और आयु :

23.Case property (including weapons) with details of where and when they were recovered and the details of recovering officer and also whether they were sent to the magistrate or not.(माल (हथियार सहित) जो पाये गये हो इस विवरण के साथ कि कहाँ और कब पकड़ा गया और किसने पकड़ा और वह मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया या नहीं।) :

24. Result of trial (मुकदमे का परिणाम) :

25. Complete Punishment (पूर्ण सजाएँ) :

25क.Date (दिनांक) :

25ख.Place (स्थान) :

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म (A))

25ग. Punishment (सज़ा) :

Pu
22-12-2024

Forwarded by Officer in Charge
(प्रभारी अधिकारी द्वारा अधिपित)

Name (नाम): P.S. ACHHNERA

Rank (पद): COMMISSIONERATE AGRA

PNO/CUG No. 9454402724
पीएनओ/सीयूजी सं:

Signature of Investigating Officer submitting
final report/charge sheet

(अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दायर करने वाले जाँच
अधिकारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): RAGHVENDRA Singh

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

PNO/CUG No.

पीएनओ/सीयूजी सं:

To CC

ACp(A)

Department, वृक्ष अधिकारी सेवा आगरा Circle, Uttar Pradesh. प्रति हस्ताक्षरित

No 2652 M.

उप प्रभाग, आगरा

FOREST DIVISION 098290

Received from श्री लाल सिंह एड/0 वीमम सिंह के स्टेशन टेड अद्वेन

Sum of Rupees 200000 = 00 (दो लाख रुपये मात्र)

Account of रेज केस संख्या 17/किरावली/2024-25 की प्रतिकर की धनशुल्क आद की।

27/05/2025

क्षेत्रीय वनाधिकारी
Forest Officer.
किरावली रेज
उप प्रभाग, आगरा

01 Forest-5.7.2017-1000 Books (D.T.P./Offset).

 भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India		मांगद्राफ्ट DEMAND DRAFT		Key: SUFJUW Sr. No: 156665	<table border="1"> <tr> <td>2</td><td>7</td><td>0</td><td>5</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>5</td> </tr> <tr> <td>D</td><td>D</td><td>M</td><td>M</td><td>Y</td><td>Y</td><td>Y</td><td>Y</td> </tr> </table>	2	7	0	5	2	0	2	5	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
2	7	0	5	2	0	2	5														
D	D	M	M	Y	Y	Y	Y														
जारी करने वाली शाखा Issuing Branch: ACB ACHNERA कोड क्र. / CODE No: 06343 Tel No.		A/C Payee																			
मांगे जानेपर PRABHAGIY NIDESHAK SAMAJIK VA NIKI PRABHAG AGRA*****				या उनके आदेश पर OR ORDER																	
ON DEMAND PAY रुपय RUPEES One Lakh Twenty Five Thousand Only																					
		अदा करें ₹ 125000.00																			
IOI 000446337046 Name of Applicant	Key: SUFJUW Lal Singh	Sr. No: 156665	AMOUNT BELOW 125001(0/6)	मूल्य प्राप्त / VALUE RECEIVED																	
		भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA अदाकर्ता शाखा / DRAWEE BRANCH: AGRA MAIN BRANCH कोड क्र. / CODE No: 00602																			
कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित होने पर ही वैध VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED		कालन 3 महीने के लिए वैध VALID FOR 3 MONTHS ONLY		₹ 1,50,000-एक लाख के निम्न INSTRUMENTS FOR ₹ 1,50,000 & ABOVE MAY BE CASHED ONLY BY TWO OFFICERS																	

337046 0000020001 000446 16

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Writ Petition(s)(Civil) No(s). 13381/1984

M.C. MEHTA

Petitioner(s)

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

Respondent(s)

((1) IA NO. 99054 AND 99055/2024 (APPLNS. FOR PERMISSION AND EXEMPTION FROM FILING O.T. ON B/O UPSIDA) AND IA NO. 31946/2024 (APPLN. FOR PERMISSION ON B/O OF NORTH CENTRAL RAILWAY, AGRA) (2) CEC REPORT NO. 17 OF 2024 AND CEC REPORT NO. 34 OF 2024 IN CEC REPORT NO. 17 (3) IN RE: UTTAR PRADESH PROTECTION OF TREES ACT, 1976 (4) IN RE: TREE CENSUS (5) CEC REPORT NO.31/2024 (6) IA NO. 64225/2022 (APPLN. FOR CLARIFICATION ON BEHALF OF ARUN KR. GUPTA) (7) CEC REPORT NO. 3 OF 2025 (8) IA NOS. 32568 AND 33549 OF 2025 (APPLNS. FOR IMPEADMENT AND DIRECTIONS ON BEHALF OF ASHOK) "ONLY" IN W.P. (C) NO. 13381/1984 ARE LISTED. "ONLY" NAMES OF THE FOLLOWING ADVOCATES MAY BE TREATED TO HAVE BEEN SHOWN IN THE LIST. PETITIONER-IN-PERSON MR. A.D.N. RAO, SR. ADVOCATE (A.C.) MR. LIZ MATHEW, SR. ADV. (A.C.) MR. SIDDHARTHA CHOWDHURY, ADV. (A.C.) MS. AAKASHI LODHA, AOR MS. KESHVI ARYA, Adv. MR. AMRISH KUMAR, MR. M.K. MARORIA, MR. G.S. MAKKER, MR. VIJAY PANJWANI, MR. ANKIT GOEL, MR. KAMLENDRA MISHRA MR. SAURABH MISRA, MR. GUNTRUR PRAMOD KUMAR, MR. CHITRANSHUL A. SINHA, MR. VIVEK NARAYAN SHARMA, MR. PUSHKAR SHARMA, M.V. KINI AND ASSOCIATES, MR. L.R. SINGH, MS. RAJ KUMARI BANJU, M/S. MEHARIA AND COMPANY, (6) MR. RAJKUMARI BANJU, MR. PRAVEEN SWARUP, (7) MR. AJIT SHARMA)

Date : 13-05-2025 This petition was called on for hearing today.

CORAM :

HON'BLE MR. JUSTICE ABHAY S. OKA
HON'BLE MR. JUSTICE UJJAL BHUYAN

Mr. A.D.N. Rao, Sr. Advocate (A.C.)
Mr. Liz Mathew, Sr. Adv. (A.C.)
Mr. Siddhartha Chowdhury, Adv. (A.C.)
Ms. Aakashi Lodha, AOR

For the parties:

Mrs. Aishwarya Bhati, A.S.G.
Ms. Ruchi Kohli, Sr. Adv.
Mr. Mukesh Kumar Maroria, AOR
Ms. Shivika Mehra, Adv.
Ms. Aastha Singh, Adv.
Mrs. Rajeshwari Shankar, Adv.

Mr. Sarthak Karol, Adv.
Mr. Jagdish Chandra Solanki, Adv.
Mr. T.S Sabarish, Adv.
Mr. Chitvan Singhal, Adv.
Mr. Padmesh Mishra, Adv.
Mr. Sudarshan Lamba, AOR
Mr. Amrish Kumar, AOR
Mr. Shreekant Neelappa Terdal, AOR

Ms. Aishwarya Bhati, A.S.G.
Mr. Rajeev Kumar Dubey, Adv.
Ms. Poornima Singh, Adv.
Mr. Ashiwan Mishra, Adv.
Mr. Kamlendra Mishra, AOR

Petitioner-in-person

Applicant-in-person

Mr. Atishi Dipankar, AOR

Mr. Gurmeet Singh Makker, AOR

Mr. Sudeep Kumar, AOR

Mr. Ankur Prakash, AOR

Mr. Lakshmi Raman Singh, AOR

Mr. Ajit Sharma, AOR
Mr. Kanchan Kumar, Adv.
Mr. Akshat Sharma, Adv.
Mr. Amrit Pradhan, Adv.
Mr. Yuvrajsinh C. Solanki, Adv.
Mr. Lareb Habib Ansari, Adv.

M/S. Lawyer S Knit & Co, AOR

Mrs. Rachana Joshi Issar, AOR

Mr. Kishan Chand Jain, Adv.
Mr. Ashwini Kumar, Adv.
Mr. Rajesh Kumar, Adv.
Mr. E. C. Agrawala, AOR

Dr. Mrs. Vipin Gupta, AOR

Mr. Prashant Kumar, AOR

Mr. Rajiv Tyagi, AOR

Mr. Ajay K. Agrawal, AOR

Mr. Shiv Prakash Pandey, AOR

Mr. Sudhir Kulshreshtha, AOR

Mr. P. K. Manohar, AOR

Mr. Pradeep Misra, AOR
Mr. Daleep Dhyan, Adv.
Mr. Anupam Misra, Adv.
Mr. Suraj Singh, Adv.

Mr. P. Parmeswaran, AOR

Mr. P. Narasimhan, AOR

M/S. Manoj Swarup And Co., AOR

Dr. Sumant Bharadwaj, Adv.
Mr. Vedant Bharadwaj, Adv.
Ms. Mridula Ray Bharadwaj, AOR
Mr. Rakesh Kailash Sharma, Adv.

Mr. Badri Prasad Singh, AOR

M/S. Meharia & Company, AOR

Mr. Ankit Goel, AOR

Mr. Zoheb Hossain, AOR

Mr. A.N.S Nadkarni, Sr. Adv.
Ms. Ruchira Gupta, Adv.
Mr. Shishir Deshpande, AOR
Ms. Pooja Tripathi, Adv.
Mr. Amit Kumar, Adv.
Mr. Abhishek Verma, Adv.

Mr. Gurmeet Singh Makker, AOR

Mr. Arvind Gupta, AOR

Mr. Shantanu Bansal, AOR

Mr. Vivek Kohli, Sr. Adv.
Mr. Bharat Malhotra, Adv.
Ms. Savita Singh, AOR
Mr. Mohit Singhal, Adv.

Mr. Jogy Scaria, AOR

Mr. Guntur Pramod Kumar, AOR
 Mr. Keshav Singh, Adv.
 Mr. B.P. Naidu, Adv.

Mr. Rajeev Kumar Dubey, AOR

Mr. Adarsh Tripathi , AOR

Mr. Sunny Choudhary, AOR

Mr. Siddhartha Chowdhury, AOR

Mr. Saurabh Mishra, AOR
 Mr. Shrimay Mishra, Adv.
 Mr. Rakesh Chander, Adv.

Mr. Ashutosh Dubey, AOR
 Mrs. Rajshri Dubey, Adv.
 Mr. Abhishek Chauhan, Adv.
 Mr. H.B. Dubey, Adv.
 Mr. Amit P. Shahi, Adv.
 Mr. Amit Kumar, Adv.
 Mr. Rahul Sethi, Adv.
 Mr. Shashi Bhushan Nagar, Adv.
 Mr. Manish Dhingra, Adv.
 Mrs. Sona Khan, Adv.
 Mr. Sumant Akram Khan, Adv.
 Mr. Rajendra Anbhule, Adv.
 Ms. Chanda Trikha, Adv.

Mr. Chitranshul A. Sinha, AOR
 Ms. Pallavi, Adv.
 Mr. Shivam Shorewala, Adv.
 Ms. Rakshita Bhargava, Adv.

Ms. Aakash Lodha , AOR

Mr. Ankur Prakash, AOR

Mr. Virag Gupta, Adv.
 Ms. Rupali Panwar, Adv.
 Mr. Shubham Gupta, Adv.
 Mr. Vishal Arun Mishra, AOR

Mr. Vivek Narayan Sharma, AOR
 Ms. Shruti Priya Mishra, Adv.
 Ms. Mahima Bhardwaj Kaluch, Adv.
 Mr. Dinesh Sharma, Adv.

Mr. Saurabh Yadav, AOR

Mr. Gaurav Goel, AOR

Ms. Udit Singh, AOR

M/S. Gsl Chambers, AOR

Ms. Aishwarya Bhati, A.S.G.

Ms. Neetika Sharma, Adv.

Ms. Saloni Jagga, Adv.

Mr. Tavinder Sidhu, Adv.

For M/S. M. V. Kini & Associates, AOR

Mr. Arjun Nanda, AOR

Mr. Arvind Kumar Sharma, AOR

Mr. Gaurav Goel, AOR

Ms. Aparna Bhat, Sr. Adv.

Ms. Rajkumari Banju, AOR

Mr. Dr. Rajeev Sharma, AOR

Mr. Shantanu Krishna, AOR

Mr. Ankit Mishra, Adv.

Mr. Ashish Kumar Singh, Adv.

Mr. Alok Kumar, Adv.

Mr. Saksham Maheshwari, AOR

Mr. Pushkar Sharma, AOR

Mr. Sumeer Sodhi, AOR

Ms. Sandali Sharma, Adv.

Mr. Abhinav Agrawal, AOR

Mr. Seshatalpa Sai Bandaru, AOR

Mr. Sanjeev Kumar Choudhary, Adv.

Mrs. Shradha Choudhary, Adv.

Mrs. Rinky Rani, Adv.

Mr. Gaurav Dhingra, AOR

Mr. Praveen Swarup, AOR

Mr. Vivek Pathak, Adv.

Mr. Devesh Maurya, Adv.

Mr. Ravi Kumar, Adv.

Mr. Hari Sahteshwar, Adv.

Ms. Mayuri Raghuvanshi, AOR

Mr. Abhijit Banerjee, AOR

Mr. Prashant , AOR

Mr. Abhinav Shrivastava, AOR

Ms. Saroj Tripathi, AOR

Mr. Manoj K. Mishra, AOR

Mr. Umesh Dubey, Adv.

Ms. Madhulika, Adv.

Ms. Vuzmal Nehru, Adv.

Mr. Ashish Kumar Mishra, Adv.

Mr. Anand Kumar Rai, Adv.

Ms. Shweta Sharma, AOR

Mr. Abhishek Chaudhary, AOR

Mr. Syed Abdul Haseeb, AOR

Mr. Anshul Gupta, AOR

Mr. Rishabh Darira, Adv.

Mr. Aditya Tainguriya, Adv.

Mr. Sanjay Upadhyay, Sr. Adv.

Mr. Satya Kam Sharma, AOR

Mr. Akshay Dev, Adv.

Mr. Mansi Bachani, Adv.

Ms. Gitanjali Sanyal, Adv.

Mr. Shubham Upadhyay, Adv.

Mr. Rishabh Rana, Adv.

Mr. Shobhit Dwivedi, Adv.

Mr. Shalen Bhardwaj, Adv.

Mr. Virender Kumar, Adv.

Ms. Garima Kumar, Adv.

Ms. Lakshmi, Adv.

Mr. Ashok Kumar Panigrahi, Adv.

Ms. Banisha Verma, Adv.

Mr. Nischal Kumar Neeraj, AOR

Mr. N. L. Ganapathi, AOR

Ms. Anju Thomas, AOR

Ms. Muskan Surana, Adv.

Mr. Anurag Kishore, AOR

Mr. Rachit Mittal, AOR

Mr. Nishit Agrawal, AOR

UPON hearing the counsel the Court made the following
O R D E R

IA NO. 99054 AND 99055/2024 (APPLNS. FOR PERMISSION AND EXEMPTION FROM FILING O.T. ON B/O UPSIDA) AND IA NO. 31946/2024 (APPLN. FOR PERMISSION ON B/O OF NORTH CENTRAL RAILWAY, AGRA)

1. As far as these applications are concerned, we finally grant time of eight weeks as sought by the Central Empowered Committee (for short, "the CEC").

2. List on Tuesday, 22nd July, 2025.

CEC REPORT NO. 17 OF 2024 AND CEC REPORT NO. 34 OF 2024
IN CEC REPORT NO. 17
IN RE: UTTAR PRADESH PROTECTION OF TREES ACT, 1976

3. As regards the implementation of the order dated 29th November, 2024 regarding Uttar Pradesh Protection of Trees Act, 1976, the learned Additional Solicitor General states that the State has not taken any decision.

4. In this Public Interest Litigation, we are concerned with the Taj Trapezium Zone (for short, 'the TTZ') area. There has to be a deterrent on illegal tree felling. The reason is that illegal tree felling has a direct co-relation with preservation of the Taj Mahal and other ancient monuments in the TTZ area.

5. Paragraph 16 of Report No.17 of 2024 reads thus:

"16. As detailed in para 5 above, some people illegally remove the trees owned by them when they pose a danger to their life and property while some people also fell trees for non-genuine vested interests. To discourage these practices and compensate for the tree loss, some strict punitive actions are required. The following suggestions have emerged after discussions with different stakeholders:

(a) For illegal felling of private trees of exempted species by farmers: Rs.5000 (Rs.Five thousand only) per tree may be recovered by the Divisional Forest Officer as compounding fees and timber may be handed back to the farmer.

(b) For illegal felling of private trees of restricted species by any person and exempted species by any person other than farmer: Rs 10000 (Rs. Ten thousand only) per tree may be recovered by the Divisional Forest Officer as compounding fees, timber may be seized in four of department and amount for block plantation of trees ten times the number of trees illegally felled with 5 years maintenance be deposited with the Forest Department.

(c) For illegal felling offence as covered in IFA 1927: Rs 25000 (Rs. Twenty-five thousand) per tree may be recovered by the Divisional Forest Officer as compounding fees, timber may be seized in favour of department, and amount for tree guard protected plantation of trees ten times the

number of trees illegally felled with 5 years maintenance to be deposited with Forest Department.

(d) The same process may also be adopted by respective Lok Adalats and District Courts while disposing of the cases of illicit felling in the TTZ."

6. We exercise our jurisdiction under Article 142 of the Constitution of India and pass an order in terms of clauses (a) to (d) above limited to the TTZ area. We direct that a copy of this order shall be forwarded to the Registrar General of the Allahabad High Court and the Rajasthan High Court who in turn will forward the same to the District Courts within their respective jurisdictions.

IN RE: TREE CENSUS

7. We have perused the affidavit of the Forest Research Institute (for short, "the FRI") filed in terms of this Court's order dated 8th April, 2025.

8. For the time being, we are keeping the issues flagged in our order dated 8th April, 2025 open.

9. We direct the FRI to submit representations to the State of Uttar Pradesh and State of Rajasthan for release of funds in a phase-wise manner. We are sure that the State of Uttar Pradesh and State of Rajasthan will immediately release the necessary funds.

10. Before we deal with the stand taken in the affidavit by the FRI, we direct the FRI to file an additional affidavit by the end of August, 2025 setting out the progress made in the work of Tree Census.

11. A copy of this order shall be forwarded to the FRI. In case the FRI seeks any directions from the Court, it will be for the FRI to submit a report to the Registrar (Judicial) of this Court who shall ensure that the same is immediately placed before this Court.

CEC REPORT NO.31/2024

12. We have heard the learned senior counsel appearing for the applicant. The prayer made in paragraph 6 of the affidavit dated 8th May, 2025 cannot be accepted and the applicant will have to comply with the conditions imposed by the CEC.

IA NO. 64225/2022 (APPLN. FOR CLARIFICATION ON BEHALF OF ARUN KR. GUPTA)

13. List on 20th May, 2025 at 12.30 p.m.

CEC REPORT NO. 3 OF 2025

14. List on 20th May, 2025 at 12.30 p.m.

IA NOS. 32568 AND 33549 OF 2025 (APPLNS. FOR IMPLEADMENT AND DIRECTIONS ON BEHALF OF ASHOK)

15. List on 20th May, 2025 at 12.30 p.m.

(ANITA MALHOTRA)
AR-CUM-PS

(AVGV RAMU)
COURT MASTER